अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/40/2013-14

26 जुलाई, 2013

सेवा में,
श्री चेतन चावला
लेखा अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
वन विज्ञान भवन, सेक्टर-5,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली--243003, उत्तर प्रदेश का दिनांक 20 जुलाई 2013 का पत्र दिनांक 23 जुलाई 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रु. का पो.आ. संख्या 19एफ 006515 संलग्न कर अपने आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय वस्तु प्रदूषण नियंत्रण विभाग से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया कृत कार्यवाही से आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री फरीद हुसैन, 453 हुसैन बाग किला, बरेली--243003, उत्तर प्रदेश -कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

No. 1325
Date 23/7/13
Secretariat
New Delhi

सेवा में,

महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय,

६. मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली.

विषय ; बरेली नगर निगम द्वारा आवासीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर गैर कानूनी ढंग से कूड़ा / कचरा डालने से फैलने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगवाने के लिए मा० चेअरपरसन नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली.२२ को विधिक कार्यवाही के लिए पत्र अग्रसारित करवाने के संदर्भ में।

प्रिय महोदय,

बरेली दिनांक २० / ०७ / २०१३

निवेदन है कि आपके सचिवालय के माध्यम से अनेकों बार निर्देश जारी किये जाने के बावजूत भी बरेली नगर निगम अब भी मुहल्ला हुसैन बाग में सार्वजनिक स्थल पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन० ओ०सी / प्राधिकार पत्र के बिना ही गैर कानूनी ढंग से कूड़ा / कचरा डलवा रहा हैं जिससे इस क्षेत्र में हानिकारक जहरीला वायु प्रदूषण फैल रहा है मगर उत्तर प्रदेश शासन में फैले भ्रष्टाचार का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपके सचिवालय के साथ ही इस प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति प्रधान मंत्री राज्यपाल सचिवालय व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एंव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कई बार जारी निर्देशों के बाद भी बरेली नगर निगम द्वारा मुहल्ला हुसैन बाग में कूड़ा डाला जाना बादस्तूर जारी है उल्लेखनीय है कि कचरे के मैदान के निकट अल्पसंख्यको के कई पवित्र धार्मिक स्थल तथा भारत सरकार द्वारा संरक्षित एक स्मारक भी हैं जिनकी बिन्दुबार सूची तथा घटना स्थल के रंगीन फोटोग्राफ्स भी इस प्रार्थना पत्र के साथ साक्षय के रुप में संलग्न हैं

{१} कचरे का मैदान कब्रिस्तान से मिला हुआ है। कब्रिस्तान लगभग २५० वर्ष पुराना है जबकि नगर निगम की स्थापना १९५९ में हुई थी साक्षय के रुप में कब्रिस्तान के तकिएदार की आख्या की छाया प्रति इस प्रार्थना पत्र के संलग्न है।

{२}मजार कल्लू मियॉ का मुहल्ला हुसैन बाग में २५० वर्ष पुराना है और यह कचरे के मैदान से मात्र १६० फुट की दूरी पर है जबकि कचरे के मैदान

की स्थापना १९५९ के पश्चात ही हुई होगी क्योंकि म्यूनिसिपल एक्ट १९५९ का है

{३}मस्जिद रफीकुल औलिया व मजार हुजूर शाह जी मियॉ भी इस कचरे के मैदान से मात्र १५५ फुट की दूरी पर है कचरे की दुर्गन्ध से नमाज़ियों को भी दिक्कत होती है इसी रोड पर आगे ईदगाह व करबलाशरीफ भी है

{४}संरक्षित स्मारक रोहिला सरदार हाफिज रहमत खान का मकबरा इस कचरे के मैदान से २०० मीटर के दाएरे में है कचरे के प्रदूषण से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित इस स्मारक को भी भारी क्षति पहुंच रही है जिसके कारण नगर निगम के अधिकारियों को दो साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है साक्षय के रुप में स्मारक की तखती पर छपे नियम कानून की रंगीन फोटो इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है मा० हाफिज रहमत खान अंग्रेजो से आजादी की जंग में शहीद हुए थे मगर नगर निगम के अधिकारीगण प्रदूषण फैलाकर इस स्मारक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं

{५} मजार जफर शाह बाबा इस कूड़े के मैदान से मात्र चार मीटर की दूरी पर है यह प्रकरण प्रदूषण का है इसलिए यह प्रकरण बरेली नगर निगम और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ से सम्बन्धित है क्योंकि नियमानुसार नगर निगम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन.ओ. सी/प्राधिकार पत्र के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा/कचरा नहीं डाल सकता है अगर वह ऐसा करते हुए पाया जाता है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को मा० सर्वोच्च न्यायालय के म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट{मैंनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग } रुल्स २००० के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा २६ के अधीन निगम के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का अधिकार है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के माध्यम से जारी पत्र {प्रति संलग्न} दि०१९/०३/०१३ के अनुसार मुहल्ला हुसैन बाग में सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालने की एन.ओ. सी बरेली नगर निगम को उनके कार्यालय ने प्रदान नहीं की है इस अधार पर मैंने प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में बरेली नगर निगम के विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर की थी मेरी उस जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए इस बोर्ड के योग्य बुद्दिमान क्षेत्रीय अधिकारी जी ने कई बार बरेली नगर निगम को नोटिस भी भेजे थे जिनकी छाया प्रतियॉ संलग्न हैं मगर नगर निगम के अधिकारियों पर इसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ है इसलिए बोर्ड के कर्तव्यनिष्ट क्षेत्रीय अधिकारी जी ने बरेली नगर निगम के विरुद्द

विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति अपने लखनऊ मुख्यालय से की थी पर अनुशासनहीनता के कारण वहाँ के अधिकारी इतने गंभीर प्रकरण में भी मौन धारण किये हुए हैं उल्लेखनीय है कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी की दि०६/०५/०१३ को प्रेषित यह आख्या {प्रति संलग्न}निराधार है जिसमे उनके माध्यम से यह सूचना दी गई है कि बरेली नगर निगम हुसैन बाग से प्रतिदिन कूड़े का उठान करवाता है क्योकि शिकायत कूड़े के उठान की नहीं है बल्कि बिना बोर्ड की एन.ओ.सी के सार्वजनिक स्थल पर निगम द्वारा गैर कानूनी ढंग से कूड़ा डालने और कूड़ा सड़ने से कूड़े की दुर्गन्ध एव कूड़े में निगम द्वारा आग लगाने से आवासीय क्षेत्र में फैलने वाले जहरीले हानिकारक वायु प्रदूषण की है इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप कृप्या मेरे इस प्रार्थना पत्र पर जनहित में न्यायोचित विधिक कार्यवाही करवाने के लिए निम्नलिखित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

मा० चेअरपरसन. नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल.

वन विज्ञान भवन. सैक्टर वी.आर. के पुरम.नई दिल्ली.११००२२

उक्त न्यायालय की स्थापना महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सन २०१० में की गई थी पर्यावरण से जुड़े नागरिक मामलों की तीव्र सुनवाई के लिए यह एक फास्ट ट्रैक अदालत है क्यों‌कि उत्तर प्रदेश शासन पर आपके सचिवालय तक के अनेकों निर्देशों का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है इसलिए इस प्रकरण में न्यायोचित कार्यवाही करवाने के लिए अन्तिम विकल्प के रुप में आप कृप्या उपरोक्त ट्रिब्यूनल को निर्देशित करके अपने सचिवालय के माध्यम से प्रार्थी की ओर जनहित में इस ट्रिब्यूनल में जनहित याचिका दायर करवाने की कृपा करें। अति कृपा होगी। धन्यवाद.

प्रार्थी

फरीद हुसैन,

फरीद हुसैन

४५३.हुसैन बाग.

किला.बरेली.२४३००३

Original Documents Verified & Attested
FAREED HUSAIN-
453, Hussain Bagh, Kila, Bareilly
Mob. : 9837945513, 9759029201
Date 20/07/013 Sign Fareed

संलग्न रंगीन फोटो।